BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 590/2025

IN THE MATTER OF:

Nitin Anand ...Applicant

VERSUS

Ministry of Railways & Ors. ...Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE
1.	SHORT AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1, 2 (MINISTRY OF RAILWAYS)	1-7
2.	**ANNEXURE R-1** COPY OF THE JOINT NOTE DATED 03.02.2026 JOINTLY SIGNED BY THE OFFICIALS OF RAILWAY, RPF AND LOCAL POLICE RECORDING THE COMPLETE DETAILS OF THE AFORESAID OPERATION	8
3.	**ANNEXURE R-2** COPY OF THE SAID COMPLIANCE REPORT/LETTER DATED 04.02.2026	9-10
4.	**ANNEXURE R-3** COPY OF COLOUR PHOTOGRAPHS AND NEWSPAPER CLIPPINGS FROM LOCAL DAILIES PROMINENTLY REPORTING THE SUCCESSFUL REMOVAL OF MORE THAN 150 ILLEGAL STRUCTURES	11-20
5.	**ANNEXURE R-4** COPY OF THE LETTER DATED 24.02.2026	21-22

	ISSUED TO THE MUNICIPAL COMMISSIONER, BAREILLY NAGAR NIGAM	
6.	PROOF OF SERVICE	23

FILED BY:

Mr. Shashank Dixit, Adv.
Central Government Standing Counsel (CGSC)
& Mr. Kunal Raj, Adv.
125, BLOCK C, Defence Colony,
New Delhi-110024
M: +91-8285530205
E: shashank@dixitlaw.co.in

PLACE: NEW DELHI
DATE: .03.2026

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 590/2025

IN THE MATTER OF:

Nitin Anand ...Applicant

VERSUS

Ministry of Railways & Ors. ...Respondents

SHORT AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 & 2 (MINISTRY OF RAILWAYS)

I, Shri Bharat Bhushan, aged about 47 years, son of Sri Kaushal Kishore, residing at Bareilly, working as Sr DEN/Co/IZN in the Office of the Divisional Railway Manager (Engineering), North Eastern Railway, Izzatnagar Division, Bareilly, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am duly authorized and fully competent to swear and file this detailed affidavit on behalf of Respondent No. 1, the Ministry of Railways, Government of India, in the above-noted Original Application, having been specifically authorized vide official internal authorization letter issued by the competent authority of the North Eastern Railway. I am fully conversant with the facts of the case from the official records, files, letters, joint notes, photographs and compliance reports maintained in the ordinary course of business in my office.

NOTARY PUBLIC
App By Govt. of India
Regd. No. 16971
Area Delhi/NCR
Juris Extd. Whole India
Expiry Date 1 Feb 2030
MINATI RANI MOHAPATRA

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

2. That the present Original Application No. 590/2025 filed by the Applicant, Shri Nitin Anand, pertains specifically to the alleged illegal dumping of solid waste and encroachments on railway land situated between Shahdana (Shyamganj) Railway Station Yard and Izzatnagar Railway Station in Bareilly, Uttar Pradesh, and seeks directions for removal of the said waste and encroachments under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.

3. That this Hon'ble Tribunal passed a detailed order dated 19.02.2026 in the present matter directing Respondent No. 1 to clean the entire solid waste lying dumped at the site within two weeks and directing UPPCB to carry out site inspection immediately thereafter and to initiate action for levy of environmental compensation in case waste is still found, and further directed filing of action taken report by UPPCB within four weeks with next date of hearing fixed for 15.05.2026.

4. That in strict and immediate compliance with the specific directions contained in the aforesaid order dated 19.02.2026, Respondent No. 1, 2 has already taken multiple effective and concrete steps for removal of encroachments and prevention of further dumping, as detailed in the subsequent paragraphs of this affidavit.

5. That a joint anti-encroachment operation was successfully carried out on 03.02.2026 in close coordination with the local police administration, Bareilly, and the Railway Protection Force (RPF), wherein 55 illegal encroachments comprising temporary huts, jhuggis, tin sheds and other

NOTARY PUBLIC
App By Govt. of India
Regd. No. 1697
Area Delhi/NCR
Juris. Extd. Whole India
Expiry Date 1 Feb 2030
MINATI RANI MOHAPATRA

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/

unauthorized structures spread over approximately 500 meters length (from the level crossing near Shyamganj Yard towards Izzatnagar) were completely removed, resulting in reclamation of approximately 20,000 square meters of valuable railway land, and the operation was conducted peacefully with deployment of 02 JCBs, 02 tractor-trolleys, 01 pickup and more than 30 railway staff along with 22 RPF personnel. A copy of the Joint Note dated 03.02.2026 jointly signed by the officials of Railway, RPF and local police recording the complete details of the aforesaid operation is annexed hereto and marked as **ANNEXURE R-1.**

6. That immediately after removal of the said encroachments, the reclaimed railway land was thoroughly barricaded and secured by fixing railway pegs at regular intervals and digging deep trenches with the help of JCB machines so as to effectively prevent any re-encroachment and further unauthorized dumping of waste materials such as debris, soil, cow dung, hay, dairy waste and other solid waste by local residents or outsiders.

7. That a detailed compliance report was prepared and sent on 04.02.2026 to the Chief Environmental Officer, Circle-7, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow, fully narrating the actions taken on 03.02.2026 along with the joint note, photographs and newspaper clippings. A copy of the said compliance report/letter dated 04.02.2026 is annexed hereto and marked as **ANNEXURE R-2.**

8. That relevant colour photographs of the entire demolition drive conducted on 03.02.2026 showing JCB machines in

NOTARY PUBLIC App By Govt. of India Regd. No. 16971 Area Delhi/NCR Juris Extd. Whole India Expiry Date 1 Feb 2030 MINATI RANI MOHANTA

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

operation, removal of structures, barricading work and cleared railway land, along with newspaper clippings from local dailies prominently reporting the successful removal of more than 150 illegal structures in the area, are collectively annexed hereto and marked as **ANNEXURE R-3.**

9. That even prior to the major operation of 03.02.2026, multiple statutory notices were issued to all identified encroachers and repeated joint surveys were conducted with RPF teams to identify, mark and photograph the encroachments, thereby demonstrating the continuous and proactive efforts of Respondent No. 1, 2 to safeguard its land.

10. That it is most respectfully submitted that the cleaning and removal of solid waste material already lying dumped at the site is not within the domain, expertise or statutory responsibility of Respondent No. 1 (Ministry of Railways).

11. That under the Solid Waste Management Rules, 2016 notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, and other applicable municipal laws and regulations, the primary, exclusive and statutory duty and responsibility for collection, transportation, processing, treatment and scientific disposal of all kinds of solid waste, including illegally dumped waste on any public or railway land falling within municipal limits, squarely and exclusively lies with the concerned Municipal Corporation, in this case the Bareilly Nagar Nigam.

NOTARY PUBLIC App By Govt. of India Regd. No. 16971 Area Delhi/NCR Juris Extd. Whole India Expiry Date 1 Feb 2030 MINATI RANI MOHAPATRA

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

12. That the core mandate and limited duty of Respondent No. 1, as the absolute owner of the railway land, is restricted only to removal of encroachments and prevention of unauthorized access and entry into railway property so as to safeguard safe railway operations, tracks, signalling and other vital infrastructure; Respondent No. 1, 2 has fully and completely complied with this statutory duty by carrying out the massive encroachment removal drive on 03.02.2026, issuing repeated notices and barricading the entire stretch.

13. That notwithstanding the above clear demarcation of responsibilities, Respondent No. 1, 2 is diligently and proactively cooperating with the municipal authorities in every possible manner; a detailed letter dated 24.02.2026 was immediately addressed to the Municipal Commissioner, Bareilly Nagar Nigam, specifically requesting deployment of municipal cleaning teams and heavy machinery for expeditious removal of the remaining solid waste, and the said letter was also copied to the District Magistrate, Bareilly and UPPCB for necessary coordination. A copy of the said letter dated 24.02.2026 issued to the Municipal Commissioner, Bareilly Nagar Nigam is annexed hereto and marked as **ANNEXURE R-4.**

14. That the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bareilly, vide letter dated 23.02.2026 referred to the order dated 19.02.2026 of this Hon'ble Tribunal and called upon Respondent No. 1 to ensure compliance and to nominate a coordinating officer for the proposed site inspection.

NOTARY PUBLIC ★ App By Govt of India Regd No. 16971 Area Delhi/NCR Juris Extd. Whole India Expiry Date 1 Feb 2030 ★ MINATI RANI MOHAPATRA

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

15. That continuous and effective coordination is being maintained on a day-to-day basis with the District Administration, local police, UPPCB officials and Bareilly Nagar Nigam for complete site remediation, regular monitoring of the reclaimed land and to ensure that no further illegal dumping occurs in the future.

16. That the deponent hereby gives a solemn undertaking on behalf of Respondent No. 1 that all necessary further steps shall continue to be taken in letter and spirit of the directions of this Hon'ble Tribunal and that further detailed action taken reports shall be filed before this Hon'ble Tribunal as and when directed or required.

17. That the facts stated above in all the paragraphs are true and correct to my knowledge and belief, derived from official records maintained by Respondent No. 1, 2 and nothing material has been concealed therefrom.

IDENTIFIED

16 MAR 2026

DEPONENT

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

VERIFICATION

I, the above-named Deponent, do hereby verify at New Delhi on this 13th day of March, 2026 that the contents of the above affidavit (paragraphs 1 to 17) are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

16 MAR 2026

DEPONENT

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

NOTARY PUBLIC
App By Govt. of India
Regd. No. 16971
Area Delhi/NCR
Juris Extd. Whole India
Expiry Date 1 Feb 2030
MINATI RANI MOHAPATRA

ATTESTED
MINATI RANI MOHAPATRA
NOTARY DELHI-R-16971
GOVERNMENT OF INDIA
SUPREME COURT OF INDIA
COMPOUND NEW DELHI
REGISTER Pg./Sl. No.

MINATI RANI MOHAPATRA
ADVOCATE (NOTARY)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA — रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

ID CARD NO. ENG-A-53360 | IZZATNAGAR DIVISION (NER) | VALID UPTO - 31-Jan-2039

नाम/ NAME	BHARAT BHUSHAN SRIV
पिता / पति का नाम Father/Husband's NAME	KAUSHAL KISHORE
विभाग DEPARTMENT	ENGINEERING
पदनाम DESIGNATION	SR.DEN/CO/IZN
जन्म तिथि DATE OF BIRTH	25-Jan-1979

Employee's Signature — Issuing Authority DRM (P)

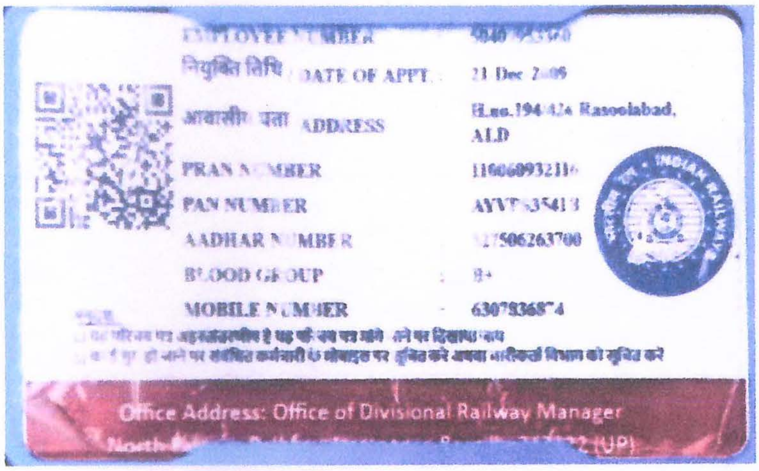

EMPLOYEE NUMBER	[illegible]
नियुक्ति तिथि / DATE OF APPT.	21 Dec 2[illegible]
आवासीय पता ADDRESS	H.no.194/42a Rasoolabad, ALD
PRAN NUMBER	11606093211[illegible]
PAN NUMBER	AYV[illegible]35413
AADHAR NUMBER	[illegible]7506263700
BLOOD GROUP	B+
MOBILE NUMBER	630793687[illegible]

Office Address: Office of Divisional Railway Manager North [illegible] (UP)

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

कार्यालय पत्र 8

संयुक्त नोट

आज दिनांक-03.02.2026 को हम अधोहस्ताक्षरियों द्वारा सहायक नगर इंजी./इज्ज़तनगर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का पत्रांक -H36970/C-7/O.A. NO-590/2025-26 dt- 20.01.2026 के आलोक में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–590 /2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ़ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक- 24.11.25 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में एवं मंडल रेल प्रबंधक (इंजी) इज्ज़तनगर का पत्रांक- इ / 562 / शिकायत / इ-3 दिनांक- 27.01.2026 के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक ई/212/ शाहमतगंज /247 दिनांक- 30.01.2026 द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन को पूर्व सूचित करते हुए शाहमतगंज रेलवे यार्ड के निकट स्थित समपार के पास अवैध रूप से रेल भूमि को अतिक्रमण करके रेता, बजरी बेचने का कारोबार करने वालों को पूरी तरह से ध्वस्त कर स्थल से हटाया गया एवं इस समपार से प्रारम्भ करते हुए लगभग 500 मी. लम्बाई में इज्ज़तनगर की ओर बढ़ते हुए बायीं एवं दायीं तरफ लोगों द्वारा रेल भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को (झुग्गी, झोपड़ी, अस्थायी निर्माण, टीन शेड एवं अन्य प्रकार के अतिक्रमण) सफलतापूर्वक हटाया गया | इस अभियान में लगभग 55 नग अतिक्रमण हटाये गये, सम्पूर्ण अभियान स्थानीय थाना पुलिस – बारादरी एवं रेलवे सुरक्षा बल की उपस्थिति में शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ | अतिक्रमण हटाने में 02 JCB, 02 ट्रैक्टर-ट्राली, 01 पिकअप एवं 30 से अधिक रेल कर्मचारी / प्राईवेट श्रमिकों के साथ रेलवे सुरक्षा बल के 02 इंस्पेक्टर, 01 सब इन्स्पेक्टर सहित 22 RPF के महिला / पुरुष जवानों का सहयोग लिया गया | उक्त समपार पर पुनः अतिक्रमण न हो इसके लिए रेल के खूंटे गाड़कर एवं JCB द्वारा खायी खोदकर रेल परिसर में आवागमन को रोका गया |

इसके अतिरिक्त सभी अतिक्रमणकर्ताओं को पुनः अतिक्रमण न करने हेतु चेतावनी दी गयी अन्यथा की स्थिति में रेलवे द्वारा अगली कार्यवाही के दौरान उनको तोड़ दिया जायेगा जिसके लिए अतिक्रमणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे |

ममता यादव 03/02/26
SI/RPF
Bareilly City

03.02.26
SSE/PW
IZN

03/02/26
SSE/Work
IZN

03/2/26
~~**SSE**~~**/Work**
IZN (I/C)

पत्र सं०-ई/212/शाहमतगंज/252 दि०- 03.02.2026
सेवा में, वरि० मण्डल इंजी० (समन्व) एवं समई /इज० महोदय को सादर प्रेषित।

04/2/26

04.02.26

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय

Scanned with OKEN Scanner

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय,
मण्डल रेल प्रबन्धक,इंजी0
इज्जतनगर
दिनांक 04.02.2026

पत्र संख्या इ/579/कोर्ट–केस/इ–4

सेवा में,

श्री राम गोपाल,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7,
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0/12वी विभूति खंड लखनऊ,
पिन– 226010, फोन– 2720831

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 के अनुपालन हेतु शहदाना (श्यामगंज) से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली के मध्य अवैध रूप से डम्प ठोस अपशिष्ट (कूड़ा) का निस्तारण कराये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 की धारा–5 के अन्तर्गत निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्र संख्या– H36970/C-7/O.A NO -590/2025-26 DATED 20-01-2026

****

आपके सदंर्भित पत्र के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही निम्नप्रकार से हैं:–

शाहमतगंज रेलवे स्टेशन यार्ड की भूमि रेल लैंड डैवेलपमेंट ऑर्थोट्री (आर0एल0डी0ए0) को व्यवसायिक विकास हेतु हैण्ड ओवर की जा चुकी है, परन्तु शाहमतगंज से इज्जतनगर के मध्य लगभग 2.1 किमी. की भूमि अभी रेल लैंड डैवेलपमेंट ऑर्थोट्री (आर0एल0डी0ए0) को हैण्ड ओवर नहीं हुई है, जिस पर अतिक्रमणों को हटाने हेतु RPF के साथ संयुक्त सर्वे करके अतिक्रमणों को चिन्हित कर लिया गया है एवं नोटिस सर्व किये गये हैं।

दिनांक–03.02.2026 को स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सहयोग से शाहमतगंज यार्ड के पास स्थित समपार से लेकर लगभग 500 मी. लम्बाई में इज्जतनगर की ओर रेल पथ के दोनों ओर अवैध रूप से किये गये 55 नग अतिक्रमणों को सफलतापूर्वक हटा दिया गया है (फोटो, संयूक्त नोट एवं पेपर कटिंग संलग्न) एवं लगभग 20000 वर्ग मी. रेल भूमि को रेल के खूंटे गाड़कर उक्त क्षेत्र को बाहरी लोगों के रेल सीमा में पुनः घुसने से रोकने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे न केवल बाहरी व्यक्तियों द्वारा रेल भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा सकेगा अपितु स्थानीय एवं आस–पास के नागरिकों द्वारा रेल भूमि में अनाधिकृत रूप से कूड़ा, करकट, गोबर, डेरियां एवं मलबा इत्यादि को रेल भूमि में डालने से रोका जा सकेगा।

स्थानीय पुलिस प्रशासन को लगातार इस खण्ड में रेलवे भूमि में व्याप्त अतिक्रमणों एवं रेल भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व टीम के साथ संयुक्त सर्वे कराने

(1)

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

हेतु प्रयास किया जा रहा है। परन्तु स्थानीय प्रशासन का प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण अभी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है शीघ्र ही बचे हुए कार्य को पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा।

पूर्व में कई बार अतिक्रमणों को रेल भूमि से हटाने के लिए रेलवे द्वारा नोटिस एवं मार्किंग की गयी है परन्तु स्थानीय पुलिस प्रशासन का मौके पर उचित सहयोग न मिल पाने के कारण अतिक्रमण पूर्णतयः मौके से नहीं हटाये जा सके हैं।

अब लगातार स्थानीय पुलिस प्रशासन का उचित सहयोग लेकर अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है।

अतिक्रमणों को हटाकर रेल भूमि की बैरीकेडिंग की जा रही है जिससे बाहरी लोगों द्वारा रेल भूमि पर डाले जा रहे मलबे, मिट्टी, गोबर, भूंसा एवं डेरियों आदि को रोका जा सकेगा।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– यथोपरि।

04/02

वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/सम0,
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्रीमान जिलाधिकारी बरेली।

2– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली।

3– श्री शशांक दीक्षित, रेलवे अधिवक्ता/नई दिल्ली, कार्यालय– 125 ब्लॉक–सी0, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली, पिन– 110024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में रेलवे की ओर से जबाब दाखिल करने हेतु सादर प्रेषित।

वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/सम0,
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर।

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

12/07

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

श्यामगंज से इज्जतनगर के बीच गरजा बुलडोजर

करीब तीन दशक से बंद रेल लाइन के दोनों ओर कब्जा करके कई लोगों ने कर लिए थे पक्के निर्माण

जागरण संवाददाता, बरेली : इज्जतनगर स्टेशन के पास से श्यामगंज की ओर जाने वाली वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ी पूर्वोत्तर रेलवे की रेल लाइन आखिरकार अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। रेलवे अधिकारियों की टीम मंगलवार को सुबह मौके पर पहुंची और ईंट पजाया की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने टीम से नोकझोंक करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते स्थिति पर जल्द ही नियंत्रण पा लिया गया। पहले दिन 52 कब्जों को हटाने की कार्रवाई हुई। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि करीब 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।

इज्जतनगर स्टेशन से श्यामगंज की ओर ईंट पजाया तक फैली करीब 2.65 किलोमीटर लंबी यह रेललाइन लगभग 35 वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। इसका अधिकांश हिस्सा बारादरी और प्रेमनगर थाना क्षेत्र में आता है। ट्रैक का लंबे समय से इस्तेमाल न होने का फायदा उठाकर आसपास के कुछ स्वामियों ने रेलवे की जमीन पर 10 से 15 फीट तक पक्का निर्माण कर लिया। कहीं बाउंड्रीवाल खड़ी कर दी गई, तो कहीं गेट, चबूतरे और सीढ़ियां बनाकर रेलवे भूमि को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। रेलवे द्वारा कराए गए सर्वे में सामने आया कि करीब 200 भवन स्वामियों के मकानों के हिस्से रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से बने हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सर्वे में लगभग 10 हजार वर्ग मीटर भूमि पर अनधिकृत कब्जे पाए गए।

इन सभी को चिह्नित कर लाल निशान लगाए गए और नोटिस दिए गए, लेकिन कब्जे न हटने पर मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया। करीब सात घंटे तक चली इस कार्रवाई में प्रेमनगर क्रासिंग से पहले मंदिर तक अतिक्रमण हटाया गया।

इस दौरान पक्की बाउंड्रीवाल, लेंटर, गेट, दरवाजे, चबूतरे और अन्य निर्माण ध्वस्त किए गए।

ईंट पजाया की ओर रेलवे की जमीन से अवैध कब्जे ध्वस्त करता बुलडोजर • जागरण

घर के सामने अवैध कब्जों के हटने के बाद बाहर खड़ी महिलाएं • जागरण

10 हजार वर्ग मीटर भूमि पर 200 अतिक्रमणकारी चिह्नित, रेलवे की सौ करोड़ की जमीन होगी खाली

अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाने पर लोगों ने किया विरोध, अभियान के पहले दिन 52 अवैध निर्माण टीम ने ढहाए

6 रेलवे अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा था। कई बार नोटिस देने के बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाए गए, तो यह कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक रेलवे की जमीन पूरी तरह से अवैध कब्जों से मुक्त नहीं हो जाती।

-संजीव शर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, इज्जतनगर मंडल

दूसरे चरण में बड़े अतिक्रमण किए जाएंगे ध्वस्त

रेल अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक के दोनों ओर 50 से 80 मीटर तक रेलवे की भूमि है। यहां कुछ लोगों ने पक्के मकान बना लिए हैं। मंगलवार को अभियान के पहले चरण में बाउंड्री और छोटे निर्माण हटाए गए हैं। दूसरे चरण में बड़े अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे वर्ष 2012 से कई बार नोटिस दे चुका है। इस तरह का अभियान पहली बार चलाया गया है।

टीम के पहुंचते ही खुद हटाने लगे कब्जे

कार्रवाई शुरू होते ही कई लोगों ने हालात भांपते हुए खुद ही अपने अवैध निर्माण तोड़ने शुरू कर दिए। किसी ने हथौड़ा उठाकर बाउंड्री गिराई, तो किसी ने लोहे की सीढ़ियां हटाईं। रेलवे की जमीन पर फैले डेयरी संचालकों के कब्जे भी हटाए गए। वर्षों से फैले अतिक्रमण देखते ही देखते खाली होते चले गए। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस बार रेलवे की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के बाद ही कार्रवाई बंद होगी।

22 वर्षीय स्पेनिश ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता, करियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने।

छह फरवरी को प्रस्तावित जिला पंचायत की बैठक स्थगित

जासं, बरेली : जिला पंचायत की ओर से छह फरवरी को प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई है। अपर मुख्य अधिकारी नीतू ने बताया कि छह फरवरी को बैठक का आयोजन जीआइसी आडिटोरियम में तय की गई थी। इसका एजेंडा भी सभी जिला पंचायत सदस्यों को प्रेषित किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल के आदेश पर अपरिहार्य कारणों से बैठक को स्थगित कर दिया गया है।

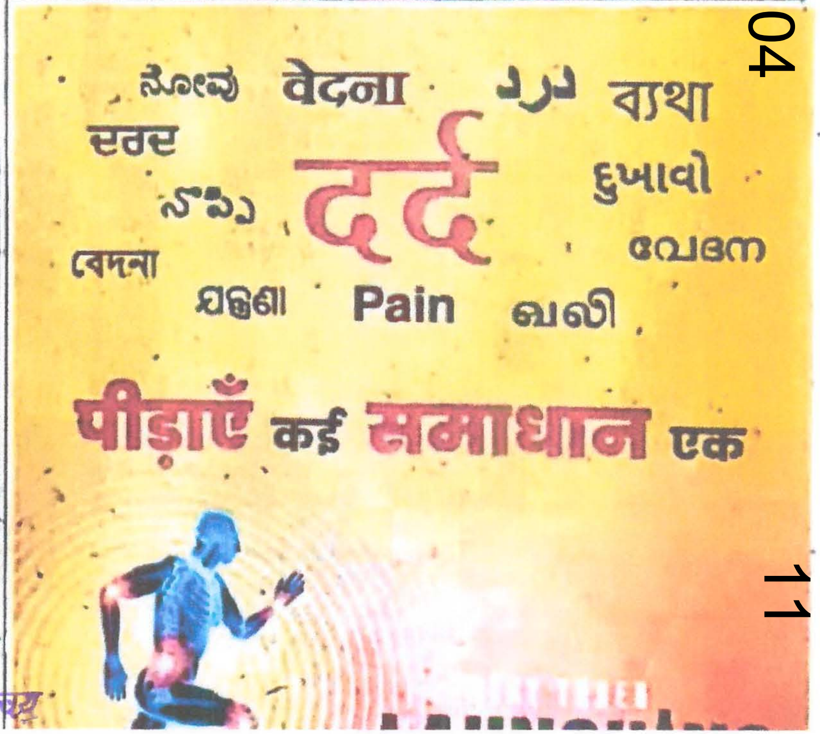

104

11

पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

Scanned with OKEN Scanner

रेलवे की भूमि पर चला बुलडोजर 150 से ज्यादा अवैध निर्माण ढहाए

नोकझोंक के बीच ईंट पजाया से माधोबाड़ी रामायण वाटिका तक चला अभियान

रेलवे की जमीन पर किए गए पक्के निर्माण को ध्वस्त करता बुलडोजर। संवाद

खुद ही गैस कटर से लोहे का गेट हटाया। संवाद

बरेली। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल ने मंगलवार को ईंट पजाया से माधोबाड़ी रामायण वाटिका तक अभियान चलाकर रेलवे की भूमि से अवैध कब्जों को हटाया। नोकझोंक के बीच बुलडोजर से 150 से ज्यादा अस्थायी और स्थायी निर्माण ढहा दिए गए। अवैध कब्जा करने वालों के दरवाजे के बाहर गहरे गड्ढे खोद दिए गए, ताकि वह फिर से कब्जा न कर सकें। रेलवे के अधिकारियों, आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस की मौजूदगी में पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक दो बुलडोजर के जरिये अवैध कब्जे ढहाए गए।

रेलवे की मीटरगेज लाइन श्यामगंज स्टेशन से इज्जत नगर वर्कशॉप तक जाती है। इस लाइन पर 35 साल पहले ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया। इसके बाद यहां कब्जे होने लगे। रेलवे की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जे हो गए हैं। कई स्थानों पर तो धर्मस्थल तक बना लिए गए हैं।

श्यामगंज रेलवे स्टेशन से लेकर ईंट पजाया, माधोबाड़ी, प्रेमनगर, मॉडल टाउन, राजेंद्र नगर, गांधीनगर, जनकपुरी, इज्जत नगर तक रेल लाइन कब्जों में दफन हो गई। तीन साल पहले रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडी) ने अवैध कब्जों का संज्ञान लेते हुए भूमि कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। इसके बाद कई बार अतिक्रमण को चिह्नित किया गया। रेलवे ने पुलिस, प्रशासन और नगर निगम का सहयोग मांगा, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त न होने की वजह से अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका।

सीबीगंज स्लीपर रोड, इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे की जमीन पर धर्म स्थलों के कारण अधिकारियों को पैर वापस खींचने पड़े। आखिरकार मंगलवार को जमीन मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया गया। संवाद

कार्रवाई के दौरान आरपीएफ से महिला की हुई नोकझोंक। संवाद

ईंट पजाया से इज्जतनगर तक प्रस्तावित हैं सड़क निर्माण सहित अन्य कार्य

आरएलडी ने श्यामगंज रेलवे स्टेशन से इज्जत नगर तक रेलवे की निष्प्रयोज्य भूमि को विकसित करने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) से 2022 में प्रस्ताव मांगा था। बीडीए ने रेलवे की भूमि का सर्वे कराया तब पता लगा कि रेल लाइन की चौड़ाई 15 मीटर है। इसके अलावा भी हॉल्ट और रेलवे स्टेशन की काफी भूमि है। यहां भी कब्जा हो चुका है। बीडीए ने ईंट पजाया से इज्जत नगर रेलवे क्रॉसिंग तक पुरानी निष्प्रयोज्य रेल लाइन पर सड़क निर्माण समेत अन्य कार्यों का प्रस्ताव आरएलडी को भेज दिया, लेकिन इसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

■ **कई बार दिए गए नोटिस, लाल निशान भी लगाए :** रेलवे की भूमि पर निर्माण कराने वाले लोगों को कई बार नोटिस दिए गए। लाल निशान भी लगाए गए, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। ईंट पजाया से माधोबाड़ी तक अस्थाई अतिक्रमण था। तमाम लोगों ने यहां झोंपड़ी बना ली थी। इसके आगे रामायण वाटिका मंदिर तक संपन्न लोगों ने भी अतिक्रमण कर गैराज, गार्डन बना लिए। कई स्थानों पर मकान भी आगे बढ़ाकर बना लिए गए थे। यह अवैध निर्माण मंगलवार को ढहा दिए गए।

आज से फिर जारी किए जाएंगे नोटिस

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को अभियान नहीं चलाया जाएगा। अब रामायण वाटिका से आगे के इलाके में अस्थायी व स्थायी अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध होने पर अतिक्रमण ढहाया जाएगा।

कार को साइड ले जाते लोग। संवाद

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

Scanned with OKEN Scanner

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

Scanned with OKEN Scanner

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

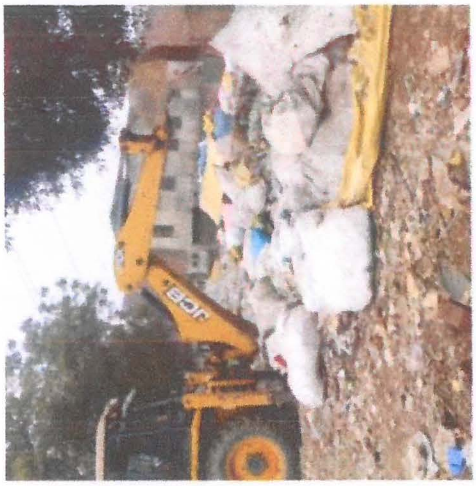

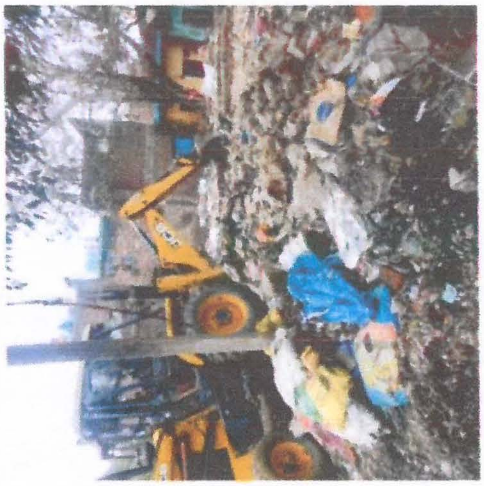

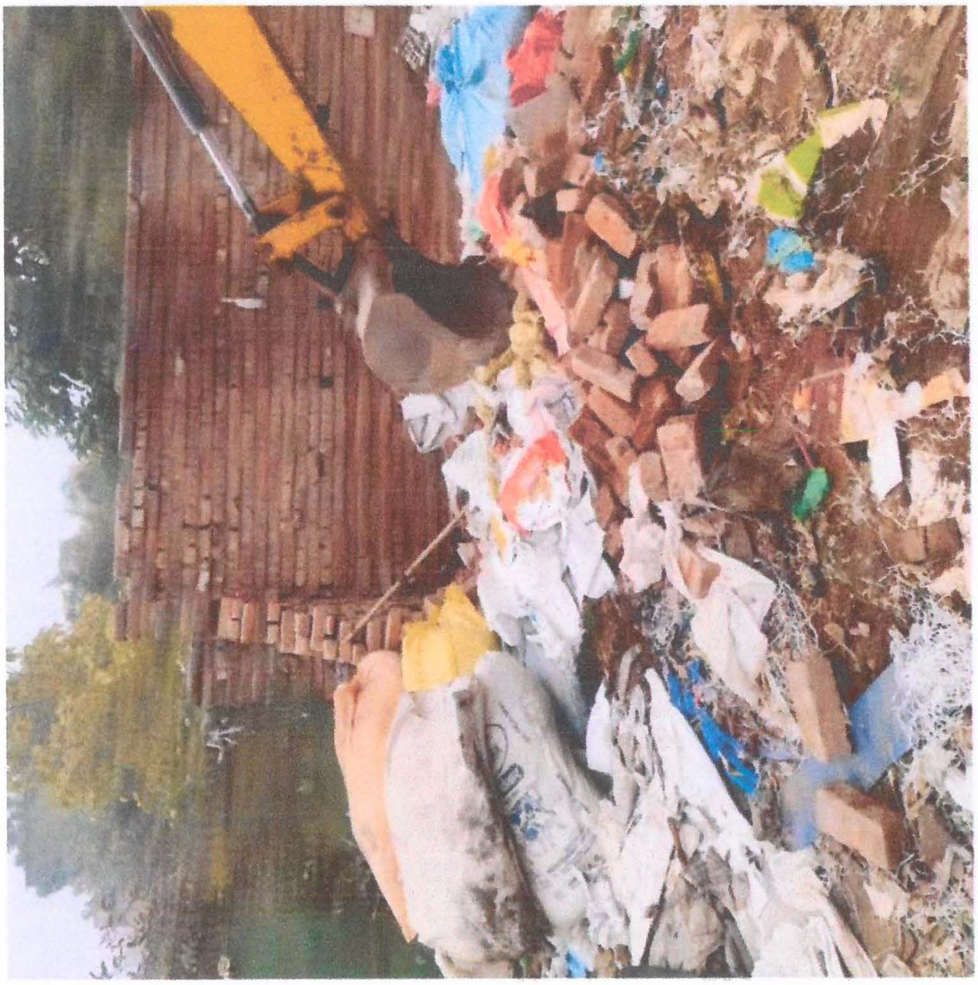

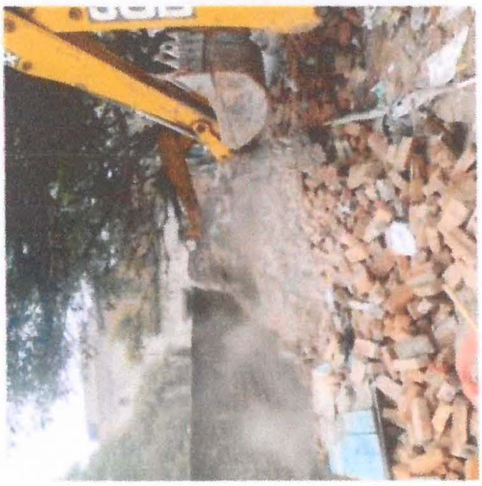

Scanned with OKEN Scanner

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

Scanned with OKEN Scanner

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

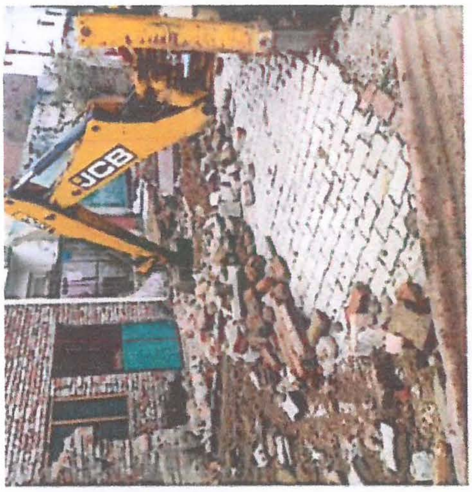

Scanned with OKEN Scanner

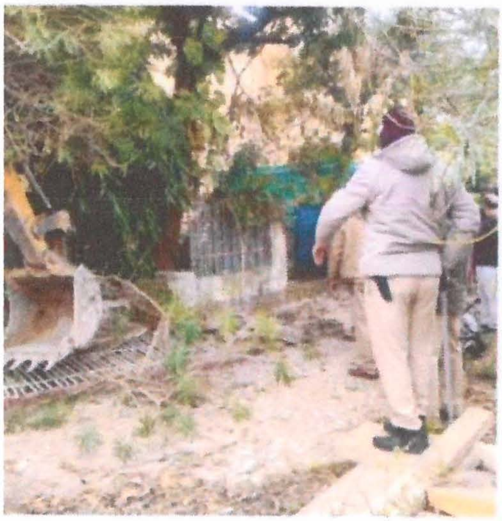

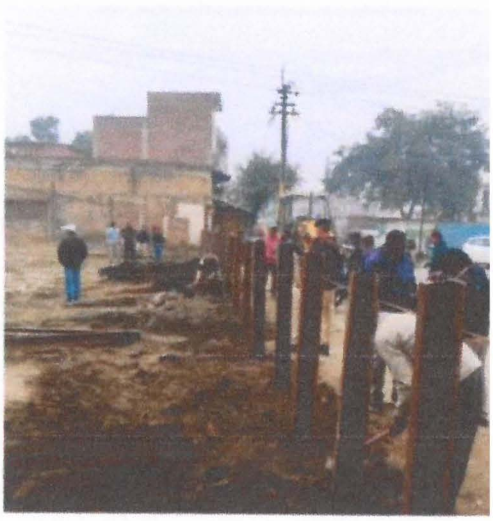

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

Scanned with OKEN Scanner

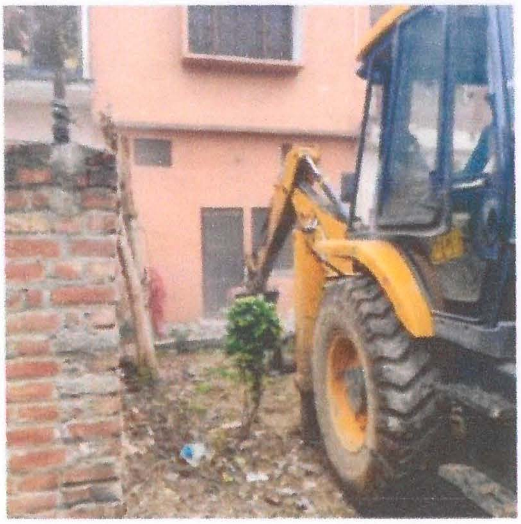

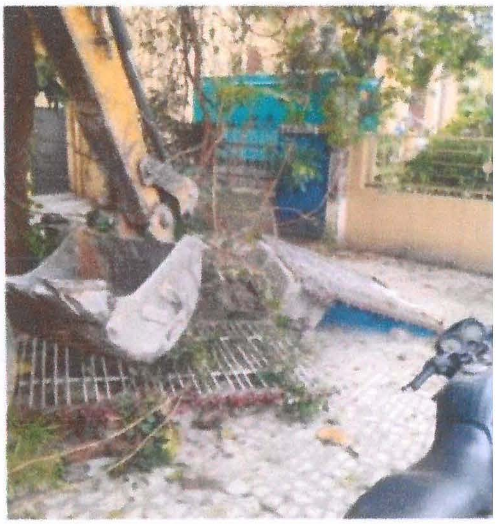

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

Scanned with OKEN Scanner

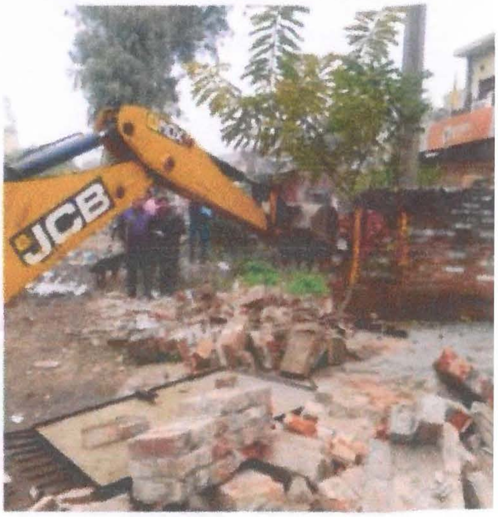

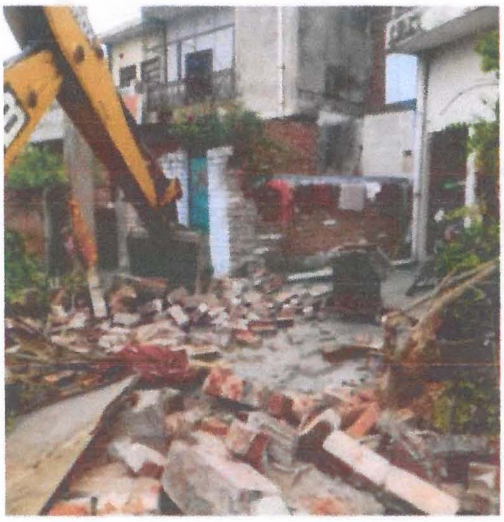

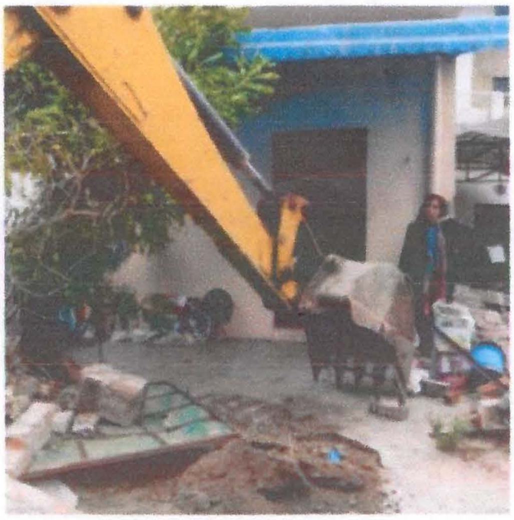

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

Scanned with OKEN Scanner

SHAHMATGANJ - IZN RLY LAND

Site Topography Plan

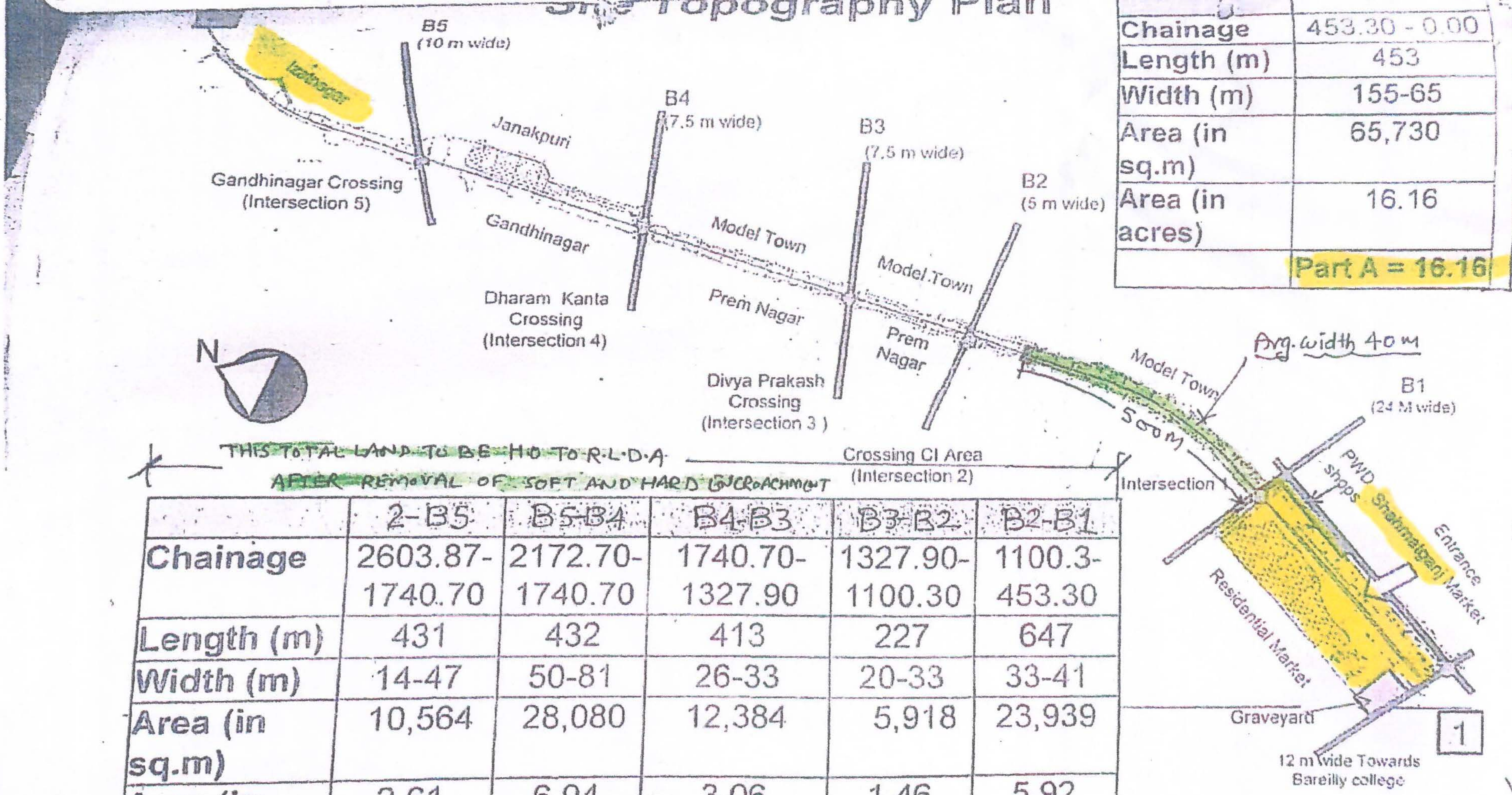

Chainage	453.30 - 0.00
Length (m)	453
Width (m)	155-65
Area (in sq.m)	65,730
Area (in acres)	16.16
	Part A = 16.16

H.O R.L.D EARLI

THIS TOTAL LAND TO BE H.O TO R.L.D.A AFTER REMOVAL OF SOFT AND HARD ENCROACHMENT

	2-B5	B5-B4	B4-B3	B3-B2	B2-B1
Chainage	2603.87-1740.70	2172.70-1740.70	1740.70-1327.90	1327.90-1100.30	1100.3-453.30
Length (m)	431	432	413	227	647
Width (m)	14-47	50-81	26-33	20-33	33-41
Area (in sq.m)	10,564	28,080	12,384	5,918	23,939
Area (in acres)	2.61	6.94	3.06	1.46	5.92
	Part B = 20.00 acres				

AREA APP. 20,000 Sqm Encroachment to be removed (STRIP 500 x 40 m AVG. WIDTH.)

AREA ALREADY H.O TO RLDA (65588 Sqm.

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय,
मण्डल रेल प्रबन्धक,इंजी0
इज्जतनगर
दिनांक 24.02.2026

पत्र संख्या इ/579/कोर्ट–केस/इ–4 /1873

सेवा में,

श्रीमान नगर आयुक्त,
नगर निगम, बरेली, उ0प्र0।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.02.2026 के अनुपालन हेतु शहदाना (श्यामतगंज) से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली के मध्य अवैध रूप से डम्प ठोस अपशिष्ट (कूड़ा) का निस्तारण कराये जाने हेतु आपके सहयोग के सम्बन्ध में।

संदर्भः– श्रेत्रीय अधिकारी/उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली का पत्र संख्या–1056/एन0जी0टी0–590/2025/2026 दिनांक 23.02.2026 (संलग्न)

****

श्रेत्रीय अधिकारी/उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली के संदर्भित पत्र एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.02.2026 (संलग्न) के अनुपालन हेतु शहदाना (श्यामतगंज) से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली के मध्य अवैध रूप से डम्प ठोस अपशिष्ट (कूड़ा) का निस्तारण/हटाये जाने हेतु आपके सहयोग की आवश्यकता है।

कृपया रेल भूमि पर डाले जा रहे मलबे, मिट्टी, गोबर, भूंसा एवं डेरियों का मलबा आदि की सफाई हेतु नगर निगम की सफाई टीमें व मशीनरी लगाने का कष्ट करें।

आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न– यथोपरि।

वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/सम0,
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्रीमान जिलाधिकारी बरेली।

2– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली।

3– श्री राम गोपाल, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0/12वी, विभूति खंड लखनऊ, पिन– 226010, फोन– 2720831

4– श्री शशांक दीक्षित, रेलवे अधिवक्ता/नई दिल्ली, कार्यालय– 125 ब्लॉक–सी0, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली, पिन– 110024 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में रेलवे की ओर से जबाब दाखिल करने हेतु सादर प्रेषित।

वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/सम0,
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर।

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

Phone & Fax: 0581-2535299

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालयः 1219/1, ई–ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली–243 122
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

सन्दर्भ संख्याः–1056 /एन0जी0टी0–590/2025/2026 दिनांक 23.02.2026

सेवा में,
वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (समन्वय)
कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक, इंजी0
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर
बरेली।
ई–मेल drm@izn.railnet.gov.in

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.02.2026 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.02.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है–

"....9. Learned Counsel for respondent no.1-Ministry of Railways submits that railways is cleaning the site. Hence, we direct the respondent no.1 to clean the entire solid waste lying dumped at the site within two weeks. Immediately, thereafter, respondent no.4 will carry out the site inspection and if solid waste is found to be dumped there, it will initiate action for levy of environmental compensation upon respondent no.1.
10. Let further action taken report be submitted by UPPCB within four weeks.
11. List on 15.05.2026.

अतः आपसे अपेक्षा है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या निर्धारित समयावधि में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें तथा राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित स्थलीय निरीक्षण के दौरान किसी भिज्ञ अधिकारी को समन्वय हेतु नामित करना चाहें, जिससे कि राज्य बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय दाखिल की जा सके। उक्त वाद में सुनवाई की अग्रिम तिथि 15.05.2026 नियत है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–
1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
क्षेत्रीय अधिकारी

65
वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय
पूर्वोत्तर रेलवे/इज्जतनगर

Latter SS

Gmail **Clerk O/o Shashank Dixit <clerkadvshashank@gmail.com>**

ADVANCE SERVICE IN THE MATTER OF Nitin Anand Vs Ministry of Railways & Ors.

1 message

Clerk O/o Shashank Dixit <clerkadvshashank@gmail.com> Fri, Apr 10, 2026 at 6:01 PM
To: Nitin Anand <anand.nitinanand@gmail.com>

Dear sir,
Please find the attached herewith advance service of the above mentioned matter
--
Warm regards,
Shivam Upadhyay
M: +91-8840058487
For
Mr. Shashank Dixit, Advocate
Central Government Standing Counsel (CGSC) - High Court of Delhi & Addl. Central Government Standing Counsel - CAT (PB), Delhi

SHORT AFFIDAVIT IN NGT.pdf
10907K